कार्यवृत्त

मंगलवार, 20 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक 10 जून, 2014 ई0)

खण्ड-40
अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 18 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य विधान सभा की सूचना पढ़ी हुई मानी गई तथा शेष सभी सूचनाएं पढ़ी गई :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र देवायल व देघाट में भवनों के हस्तगत न होने और विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही से जनता में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।"
2. श्री संजय गुप्ता, विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पिछले वर्ष आपदा के दौरान बरसात के कारण ग्राम भोगपुर से ग्राम बालावाली तक टूटे गंगा के तटबंध की सुरक्षा के लिये कोई स्टड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री पुष्कर सिंह धामी, "खटीमा शहर एवं उसके आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के कारण खटीमा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।"
4. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, "जनपद देहरादून विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण हो रही कठिनाई के संबंध में।"
5. श्री सरवत करीम अंसारी, "उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में निरीक्षक के पद पर संविदा पर तैनात कार्मिक पर जांच में लाखों रुपये गबन एवं सरकारी अभिलेखों में कूट रचना की पुष्टि होने के फलस्वरूप शासन द्वारा उक्त कर्मचारी को वक्फ बोर्ड से पदच्युत व विधिक कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।
6. श्री हरभजन सिंह चीमा, अनुपस्थित,
7. श्री ललित फर्स्वाण "जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कन्यालीकोट-जगथाना मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति के बाद लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी न होने के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 3 सूचनायें प्राप्त हुई है जिनमें से-

पहली सूचना माननीय सदस्य, श्री बंशीधर भगत तथा सुरेन्द्र सिंह जीना की है जो उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग से पर्यावरण, जानवरों, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हो रही हानि के संबंध में है।

दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों की है जो प्रदेश में आबकारी नीति में एफ0एल0-2 में परिवर्तन के कारण प्रदेश में माफियाराज बढ़ने की सम्भावना के सम्बन्ध में है, तथा

तीसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री प्रदीप बत्रा की है, जो जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत नगर निगम रुड़की में आहूत व्यापार मण्डल की बैठक में मेयर द्वारा की गई अभद्रता के सम्बन्ध में है। वे दूसरी सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाओं को वे प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार करते हैं।

इस पर नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर उक्त सूचना को नियम 310 के अन्तर्गत ही सुनने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष के इस मांग को अस्वीकार करने पर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते हुए विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने 12:15 बजे सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी।

12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

01:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01 बजकर 10 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

01 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष ने नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत ही सुनने की मांग करने लगे। विपक्ष के अन्य सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर इसकी मांग करने लगे। **(व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष ने कहा कि पीठ का निर्णय आ चुका है, सदस्य नियम-58 के अन्तर्गत अपनी बात रख लें। अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते हुए विपक्ष के कुछ सदस्य 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे। **(घोर व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर घोर व्यधान के कारण श्री चन्द्र शेखर द्वारा याचिका उपस्थित नही की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्तोला का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश राम, निवासी- ग्राम चन्तोला, पो0 नरगोली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के नरगोली हेतु नरगोली गांव के बीच चौरा गधेरा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल रौतेला, निवासी- ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद बागेश्वर के ग्राम ढांगा के पडिगाड गधेरे से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत घर तथा गांव को बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सतीश चन्द्र उप्रेती, निवासी-ग्राम ढांगा पो0 नरगोली, तहसील कपड़ा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 जून, 2014 की बैठक में दिनांक 10 जून, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

10 जून, 2014

विधायी कार्य :-

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। **(05 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। **(05 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
5. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।**(15 मिनट)**
6. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी-

   "राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिससे प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।" **(एक घण्टा)**
7. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी-

   "राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।" **(एक घण्टा)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान में किसी माननीय सदस्य द्वारा सूचना प्रस्तुत नही की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्तीय वर्ष 2014-2015 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 258500 हजार (पच्चीस करोड़ पचासी लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रू0 24821 हजार (दो करोड़ अडतालीस लाख इक्कीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 14905 हजार **(एक करोड़ उन्चास लाख पांच हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 32235 हजार (तीन करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 378110 हजार **(सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 175411 हजार **(सत्रह करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य गृह मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 282500 हजार (अट्ठाईस करोड़ पच्चीस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 4782912 हजार (चार सौ अठ्हत्तर करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 3439255 हजार (तीन सौ तैंतालीस करोड़ बयानवे लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 **2009000 हजार (दो सौ करोड़ नब्बे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 7663 हजार (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 1163596 हजार (एक सौ सोलह करोड़ पैंतीस लाख छियानब्बे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-16 श्रम रोजगार के अन्तर्गत रू0 535230 हजार (तिरपन करोड़ बादन लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 412674 हजार (इक्तालीस करोड़ छब्बीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 10178086 हजार (एक हजार सत्रह करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य सिचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-20 सिचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 202592 हजार (बीस करोड़ पच्चीस लाख बयानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 4 हजार (चार हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 4150002 हजार (चार सौ पन्द्रह करोड़ दो हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 260598 हजार (छब्बीस करोड़ पांच लाख अठ्ठानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 253815 हजार (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 **2010705 हजार (दो सौ एक करोड़ सात लाख पांच हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 **1918107 हजार (एक सौ इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख सात हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रू0 **949820 हजार (चौरानवे करोड़ अट्ठानवे लाख बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 **214433 हजार (इक्कीस करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 **535450 हजार (तिरपन करोड़ चौवन लाख पचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 **3094834 हजार (तीन सौ नौ करोड़ अड़तालीस लाख चौंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 **904030 हजार (नब्बे करोड़ चालीस लाख तीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3,खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संस्कृत शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-11 तक, अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संस्कृत शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी नियम-310 की सूचना के विषय को मा0 अध्यक्ष के निर्णयानुसार नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान रख सकते है। सरकार की ओर से भी इस पर उत्तर आ जायेगा। विपक्ष के सदस्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा वेला प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहते हुऐ नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 50 मिनट पर 04:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

04:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 04 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

विपक्ष का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं था।

कृषि मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया-

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।" निम्न मा0 सदस्यों ने भी संकल्प पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये-

1. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल,
2. श्री नव प्रभात,
3. श्रीमती शैलारानी रावत,
4. श्री जीतराम,
5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
6. श्री गणेश गोदियाल,
7. श्री विकम सिंह नेगी,
8. श्री हेमेश खर्कवाल,
9. श्री ललित फर्स्वाण।

चर्चा जारी रहेगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

चर्चा जारी रहेगी।

पेयजल विभाग द्वारा वर्ष 2007 से वर्तमान तक जिन 9078 लोगों को ठेकेदारी के आधार पर विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु रखा गया है उनके मुख्य नियोक्ता की जानकारी विषयक दिनांक 13 फरवरी, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा चर्चा पर विषय रखने हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना का नाम पुकारा गया परन्तु सदस्य उपस्थित नही थे।

गृह विभाग द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु सशस्त्र पुलिस में महिलाओं को आरक्षियों के पदो पर नियुक्ति प्रदान करने विषयक दिनांक 20 जनवरी, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा प्रस्तुत करते हुए कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुई। वे इनमे से-

"जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 (रानीपुर) के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई एस0 व टी0 कल्स्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" श्री आदेश चौहान, मा0 सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

"जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।" श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राथमिक विद्यालय जिगुड़ा का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2014 को दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2014 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया ।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 35 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 11जून, 2014 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।